[2021] 10 एस. सी. आर. 484

डॉ. यू. एन. बोरा, एक्स. प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और ओ. आर. एस.

अन्य

असम रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन एंड अन्य

(2009 की आपराधिक अपील सं. 1967)

26 अक्टूबर, 2021

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-असम कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1972 - एस. 21-कृषि उपज पर उपकर

अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदा या बेचा गया-प्रतिवादी नं. 1 - संघ-नियम निरस्त किए गए - 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा अंत:स्थापित s.21A-चुनौती दी गई चुनौती-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एस. 21 और माना कि काल्पनिक कल्पना

यह केवल तभी लागू होगा जब कोई व्यापारी अधिसूचित के बाहर की गई बिक्री या खरीद का प्रत्यक्ष प्रमाण स्थापित करने में विफल रहता है।

बाजार क्षेत्र; समिति का गठन-अवमानना का आरोप-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: दीवानी अवमानना का अर्थ है जानबूझकर

न्यायालय के निर्णय की अवज्ञा-जानबूझकर अवज्ञा प्रासंगिक है-केवल इसलिए कि एक अधीनस्थ अधिकारी ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना में काम किया है, ज्ञान के अभाव में एक उच्च अधिकारी पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है-अवमानना के मामले में एक सिद्धांत के रूप में प्रत्यावर्ती दायित्व लागू नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने पहले के अवसर पर एस. 21 एक स्पष्ट दावा किया कि वह तथ्य के विवादित प्रश्नों में नहीं जाना चाहता था-हालाँकि, चुनौती के तहत आदेश में यह किया गया था-प्रतिवादी नं। 1 जो गठित समिति द्वारा सराहे जाने वाले साक्षय के टुकड़े हो सकते हैं-ऐसे मामलों में जहां उपकर लगाया गया था, प्रत्यर्थी के व्यक्तिगत सदस्य नं। 1 समिति के समक्ष अपनी चुनौती दे सकते थे-अवमानना मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

प्रकृति में अर्ध-अपराधी हैं। न्यायालय की अवमानना-तथ्यों के विवादित प्रश्न-आयोजित किए गए: अवमानना याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह बारी-बारी से जांच करे और उस निर्णय से आगे बढ़े जो था

कथित रूप से उल्लंघन किया गया-जब तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल होते हैं तो उक्त सिद्धांत को अधिक जोर से लागू करना पड़ता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत आदेश के बाद, प्रावधान में और बदलाव किया गया है एक अध्यादेश द्वारा निरस्त किया गया और उसके बाद एक उचित अधिनियम बनाया गया। न्यायालय दीवानी अवमानना से निपट रहा है। द.

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 एक दीवानी अवमानना की व्याख्या करता है जिसका अर्थ है न्यायालय के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा। इसलिए, जो प्रासंगिक है वह "जानबूझकर" अवज्ञा है। ज्ञान प्राप्त होता है। अवमानना आदेश का काफी महत्व है। केवल इसलिए कि एक अधीनस्थ अधिकारी ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना में काम किया, जानकारी के अभाव में एक उच्च अधिकारी पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। जब दो दृष्टिकोण संभव होते हैं, तो इच्छाशक्ति का तत्व गायब हो जाता है क्योंकि इसमें एक मानसिक तत्व शामिल होता है। यह एक जानबूझकर, सचेत और जानबूझकर किया गया कार्य है। उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है क्योंकि कार्यवाही अर्ध आपराधिक प्रकृति की होती है। इसी तरह, जब एक अलग तंत्र प्रदान किया जाता है और वह भी, उसी निर्णय में कथित रूप से उल्लंघन किया गया है, तो एक पक्ष को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले उसे समाप्त करना पड़ता है। उक्त पक्ष के लिए यह तर्क देना पूरी तरह से खुला है कि पारित आदेश का लाभ वास्तव में इसके माध्यम से नहीं दिया गया है।

उचित राहत की मांग करते हुए अलग कार्यवाही लेकिन

जब तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल होते हैं और उन्हें पहले उठाया गया था, लेकिन जानबूझकर एक विशिष्ट प्रश्न बनाकर उनसे निपटा नहीं गया था। मूल कार्यवाही तय करने के लिए मंच। [पैरा 5,8] [490-जी-एच; 492-सी-जी]

हुकुम चंद देसवाल बनाम। सतीश राज देसवाल, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 438; राम किशन बनाम। तरुण बजाज, (2014) 16 एस. सी. सी. 204 [2014] 1 एस. सी. आर. 538-पर भरोसा किया।

1.2 इससे पहले उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 21 को दी गई चुनौती पर विचार करते हुए एक [2021] 10 एस. सी. आर. बनाया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत द्वारा पारित आदेश और दस्तावेज़ दिखाए प्रस्तुत किए गए निर्णय के दायरे में सच्चे और वास्तविक हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए था, जबकि

अवमानना अधिकारिता का प्रयोग करना। यह उत्तरदाता नं। 1 जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर की। यहां तक कि प्रेस नोट के अलावा भेजे गए संचार में भी, यह कहीं नहीं कहा गया है कि अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जा सकता है। बाद के घटनाक्रमों से भी अपीलार्थियों को लाभ होगा। ऐसे मामलों में जहां उपकर लगाया गया था, प्रत्यर्थी के व्यक्तिगत सदस्य नं। 1 समिति के सामने अपनी चुनौती दे सकते थे। उच्च न्यायालय की पूरी कवायद वारंट नहीं है और प्रत्यर्थी के व्यथित सदस्य नं। 1 समिति के माध्यम से निवारण सहित उनके लिए खुले वैकल्पिक उपाय की तलाश करने की अच्छी तरह से सलाह दी जा सकती थी। 2008 के अवमानना मामले No.401 में 23.10.2009 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 10,11] [497-डी-एच; 498-ए-बी]

अशोक पेपर कामगार यूनियन बनाम गोधा और अन्य। , (2013) 11 एस. सी. सी. 1; कपिलदेव प्रसाद साह और अन्य। बनाम बिहार राज्य, (1999) 7 एससीसी 569: [1999] पूरक। एस. सी. आर. 725; दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। , (2010) 12 एससीसी 770: [2010] 13 एससीआर 599; अनिल रतन सरकार और अन्य। बनाम हिराक

घोष और ओआरएस। , (2002) 4 एससीसी 21: [2002] 2 एस. सी. आर. 346; भारतीय विमानपत्तन कर्मचारी संघ बनाम रंजन चटर्जी

और एन. आर. , (1999) 2 एससीसी 537: [1999] 1 एससीआर 326;

शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल बनाम वेद प्रकाश डी. आर.

यू. एन. बोरा, एक्स. प्रमुख कार्यकारी अधिकारी v. असम रोलर फ्लोर मिल एसोसिएशन

जोशी और ओआरएस। , (2005) 6 एससीसी 98: [2005] 1 पूरक। एससीआर

620 ; भारत संघ और ओआरएस। बनाम सूबेदार देवासी पी. वी.,

(2006) 1 एससीसी 613 [2006] 1 एससीआर 303; मृत्युंजय

दास और अन्र। बनाम सैयद हसीबुर तहमान और अन्य। ,

गिरि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 7 एससीसी 280: [2014] 6 एस. सी. आर. 545-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1999] पूरक। एससीआर 725

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[2010] 13 एससीआर 599

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 346

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[1999] 1 एससीआर 326

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2005] 1 पूरक। एससीआर 620

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[2006] 1 एससीआर 303

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[2001] 2 एससीआर 471

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2014] 6 एससीआर 545

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[2014] 1 एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2009 का No.1967।

उच्च न्यायालय के 23.10.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 के अवमानना मामले No.401 में गुवाहाटी का।

अरुणाभ चौधरी, सुश्री बरनाली चौधरी, डेचेन वांगदी

लाचुंगपा, सुश्री पल्लवी लंगर, राहुल प्रताप, मेसर्स सी. ओ. ए. सी., एड. अपीलार्थियों के लिए।

ऋषिकेश बरुआ, सुश्री राधिका गुप्ता, सुश्री अकांक्षा माणिक,

जगजीत सिंह छाबड़ा, मनीष गोस्वामी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थियों को जानबूझकर दोषी पाया

[2021] 10 एस. सी. आर. की रिट याचिका (सिविल) संख्या 5491 में पारित आदेश की अवज्ञा।

2001 असम कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1972 की धारा 21 को बरकरार रखते हुए लगाए गए शुल्क के संबंध में दिनांक 12.09.2008 आदि।

2. अपील लंबित रहते हुए, पहले अपीलार्थी की मृत्यु 27.02.2017 पर हो गई। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके खिलाफ कार्यवाही को इस अदालत के दिनांक 07.10.2021 के आदेश द्वारा समाप्त घोषित किया गया था।

3. हमने बार में वकीलों की दलीलें सुनी हैं और लिखित दलीलों के साथ दायर दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

तथ्य:

4. अनावश्यक तथ्यों को उछालते समय, एक संक्षिप्त रेखाचित्र प्रस्तुत किया जाता है

इसके नीचे:

03.09.1974 पर, असम कृषि उपज बाजार

अ)

अधिनियम, 1972 क़ानून की पुस्तक में आया। अधिनियम की धारा 21 ने विपणन समितियों या असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड (जिसे इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है) को अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गई कृषि उपज पर निर्धारित दर पर उपकर लगाने की शक्ति प्रदान की। स्पष्टीकरण-मैंने कथित प्रावधान को एक काल्पनिक कल्पना में जोड़ा है। के प्रयोग में नियम बनाए गए थे

अधिनियम की धारा 49 के तहत प्रदत्त शक्ति।

ख)

प्रत्यर्थी नं. द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। 1 - एसोसिएशन उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर कि इसके सदस्यों ने कृषि उपज को बाहर से खरीदा

राज्य और इस प्रकार, कोई उपकर नहीं लगाया जाता है। नियमों को निरस्त कर दिया गया जिससे संशोधन अधिनियम, 2000 की शुरुआत हुई, जिसमें धारा 21 ए को शामिल करते हुए अधिनियम की धारा 21 में संशोधन किया गया। पूर्ण के निर्णय के लिए बोर्ड द्वारा की गई चुनौती

इस न्यायालय के समक्ष दिनांकित 04.04.2001 पीठ के परिणामस्वरूप दिनांकित 08.12.2005 का आदेश आया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए, मामले में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुद्दे।

(ग)

धारा 21 ए को संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया था।

बोर्ड को उपकर लगाने और एकत्र करने में सुविधा प्रदान करना अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में विपणन समितियाँ अपनी मौजूदा शक्तियों के अलावा। यह संशोधन किया गया था

डिवीजन के समक्ष रिट याचिकाओं के समूह में चुनौती उच्च न्यायालय की पीठ। दिनांक 12.09.2008 के फैसले के माध्यम से संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, यह माना गया है I. BORA, EX।

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी v. असम फ्लोर मिल्स एसोसिएशन [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

कि डीमिंग फिक्शन केवल उन मामलों पर लागू होगा जहां एक व्यापारी यह स्थापित करने में विफल रहता है कि प्रत्यक्ष है

अधिसूचित बाजार क्षेत्र के बाहर की गई बिक्री या खरीद का प्रमाण। यह भी कहा गया कि धनवापसी सहित विवादित प्रश्नों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करने वाली रिट याचिका में नहीं डाला जा सकता है और ऐसे विवादों से समिति द्वारा निपटा जा सकता है

गठित किया गया।

यह आरोप लगाते हुए कि प्रतिवादी सं. सं. के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्षय के संबंध में खंड पीठ द्वारा पारित आदेश। 1 उपकर लगाते समय जानबूझकर उनकी जांच नहीं की गई और 2008 के अवमानना मामले (दीवानी) No.401 में एक अवमानना याचिका दायर की गई। संयोग से, प्रत्यर्थी नं। 1 डिवीजन बेंच के दिनांक 12.09.2008 के आदेश को चुनौती देते हुए 2009 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11317 भी दायर की गई, जिसे 2013 की सिविल अपील संख्या 9655 में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसमें इस अदालत द्वारा दिनांक 25.10.2013 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

उपरोक्त अवमानना याचिका में, खंड पीठ ने दिनांक 23.10.2009 के विवादित आदेश के माध्यम से प्रतिवादी के दो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों पर ध्यान दिया

नहीं। 1 , जैसे बिक्री चालान, लॉरी चालान, कर चालान, बीमा रसीदें आदि। यह तथ्यात्मक दावों में चला गया उपरोक्त उद्देश्य के लिए उसके द्वारा पहले गठित समिति के बावजूद और तदनुसार, सभी अपीलार्थियों को जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए फटकार लगाई गई।

अपीलार्थियों को एक आपत्तिजनक कार्य करने के लिए दंडित करने वाले उपरोक्त आदेश के खिलाफ, बोर्ड द्वारा 2010 की एक विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) दायर की गई थी और अनुमति देने पर इसे 2013 की नागरिक अपील संख्या 9656 के रूप में दर्ज किया गया था। इस न्यायालय ने बोर्ड द्वारा दायर की गई

उपरोक्त अपील में नोटिस जारी करते हुए 30.03.2010 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया है जब मामला विशेष अनुमति याचिका के रूप में लंबित था:

" एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करें

साथ ही विशेष अनुमति याचिकाओं पर भी।

[2021] 10

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पारित निर्णय के अनुसार कर एकत्र करने की अनुमति है

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 12.9.2008, दिनांक 23.10.2009 की अवमानना कार्यवाही में पारित आदेश से अप्रभावित।

2009 की एसएलपी (सी) संख्या 11317 के साथ पोस्ट करें।

प्रत्यर्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाएँ नं। 1

जी)

डिवीजन बेंच के मूल आदेश को चुनौती देने को सिविल अपील संख्या के रूप में लिया गया था। 9655 2013 का, 9657-9665 का

2013 और 2013 का 9666 और तदनुसार दिनांकित 29.09.2021 आदेश पारित किया गया था, जिसे प्रासंगिक रूप से संदर्भित किया गया है।

इसके नीचे:

" अपीलार्थियों के विद्वान वकील का कहना है कि विवादित अधिनियम को एक अध्यादेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है

13.07.2020 पर और बाद में अधिनियम लाया गया है

जगह पर।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों में बहस किए जाने का मुद्दा अकादमिक हो गया है और इस प्रकार

यह विवादित नहीं है कि अपील वास्तव में जीवित नहीं रहती हैं

विचार के लिए।

दीवानी अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है। लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

डिवीजन द्वारा पारित दिनांक 12.09.2008 के आदेश के बाद

ज)

अधिनियम की धारा 21 को बरकरार रखते हुए पीठ ने आदान-प्रदान किया

उत्तरदाताओं। जबकि प्रत्यर्थी नं। 1 पारित आदेश का कथित उल्लंघन करते हुए, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि कार्रवाई केवल अधिनियम की धारा 21 के तहत बोर्ड के जनादेश के अनुरूप की गई थी और प्रतिवादी सं. 1 समिति के समक्ष होगा उक्त निर्णय के अनुसरण में गठित।

5. इस प्रकार, हमारे सामने चुनौती के तहत आदेश के बाद पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है। इस प्रावधान में और बदलाव किया गया एक अध्यादेश द्वारा निरस्त किया गया और उसके बाद एक उचित अधिनियम बनाया गया। उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य के आलोक में, हम मामले के साथ आगे बढ़ेंगे।

डॉ. यू. एन. बोरा, एक्स. प्रमुख कार्यकारी अधिकारी v. असम रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ:

नहीं। 1 केवल 21.01.2009 तक प्रभारी था। प्रथम अपीलार्थी की मृत्यु 27.02.2017 पर हुई। आदेश का कोई जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने सराहना करते हुए तथ्यों में जाने में गलती की है सबूत। इसने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया जिसे उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को लागू करते हुए भी प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यह हो सकता है

प्रत्यर्थी सं. के सदस्यों को निर्वासित कर दिया। 1 गठित समिति के समक्ष जाना। अपीलार्थियों को उनके अधीनस्थों की कथित कार्रवाई में फंसाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। प्रत्यावर्ती दायित्व की अवधारणा अवमानना क्षेत्राधिकार से परे है। उच्च न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी भी मांगी गई। प्रत्यर्थी नं. 1

वह है जिसने अपने अवमानना अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए इस न्यायालय के समक्ष खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 12.09.2008 के आदेश पर एक साथ हमला किया। अन्यथा भी, बाद के घटनाक्रमों के आलोक में, अपील को अनुमति दी जानी चाहिए। उपरोक्त प्रस्तुतियों पर, अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित मामलों में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा रखा:

अशोक पेपर कामगार यूनियन बनाम गोधा और अन्य।, (2013)

11 एससीसी 1

कपिलदेव प्रसाद साह और अन्य। बनाम बिहार राज्य (1999) 7 एस. सी. सी. 569

दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।, (2010) 12 एस. सी. सी. 770

अनिल रतन सरकार और अन्य। बनाम हीरक घोष और अन्य।, (2002) 4 एससीसी 21

भारतीय विमानपत्तन कर्मचारी संघ बनाम रंजन

चटर्जी और अन्र।, (1999) 2 एस. सी. सी. 537

शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल बनाम वेद प्रकाश

जोशी और ओआरएस।, (2005) 6 एससीसी 98

भारत संघ और ओआरएस। बनाम सूबेदार देवासी पी. वी., (2006)

1 एस. सी. सी. 613

मृत्युंजय दास और अन्र। बनाम सैयद हसीबुर तहमान

और ओआरएस।, (2001) 3 एससीसी 739

बाल किशन गिरि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 7

उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ:

7. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों के तहत काम करने वाले अधिकारियों की ओर से विफलता के बाद प्रेस विज्ञप्ति स्पष्ट रूप से अदालत द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करने के इरादे को दर्शाएगी। तदनुसार सामग्री का उत्पादन किया गया। यह पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद, न्यायालय के निर्णय पर काबू पाने के जानबूझकर किए गए प्रयास का मामला है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करते हुए, पारित तर्कपूर्ण आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

परिचर्चा:

8. हम एक नागरिक अवमानना से निपट रहे हैं। न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 एक दीवानी अवमानना की व्याख्या करता है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति की जानबूझकर अवज्ञा करना।

न्यायालय का निर्णय। इसलिए, जो प्रासंगिक है वह "जानबूझकर" अवज्ञा है। ज्ञान एक अवमानना आदेश के तहत पर्याप्त महत्व प्राप्त करता है। केवल इसलिए कि एक अधीनस्थ अधिकारी ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना में काम किया, जानकारी के अभाव में एक उच्च अधिकारी पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। जब दो दृष्टिकोण संभव होते हैं, तो इच्छाशक्ति का तत्व गायब हो जाता है क्योंकि इसमें एक मानसिक तत्व शामिल होता है। यह एक जानबूझकर, सचेत और जानबूझकर किया गया कार्य है। उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है क्योंकि कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती है। इसी तरह, जब एक अलग तंत्र प्रदान किया जाता है और वह भी, उसी निर्णय में कथित रूप से उल्लंघन किया गया है, तो एक पक्ष को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले उसे समाप्त करना पड़ता है। उक्त पक्ष के लिए यह तर्क देना पूरी तरह से खुला है कि पारित आदेश का लाभ वास्तव में उचित राहत की मांग करते हुए अलग-अलग कार्यवाही के माध्यम से नहीं दिया गया है, लेकिन

निश्चित रूप से अवमानना कार्यवाही के माध्यम से नहीं। एक के साथ व्यवहार करते हुए

अवमानना याचिका, न्यायालय से एक घुमावदार जांच करने और उस फैसले से आगे जाने की उम्मीद नहीं की जाती है जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया था। ने कहा कि

जब तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल होते हैं और उन्हें पहले उठाया गया था, लेकिन मूल कार्यवाही तय करने के लिए एक विशिष्ट मंच बनाकर सचेत रूप से निपटा नहीं गया था, तो सिद्धांत को अधिक जोर से लागू किया जाना चाहिए।

9. हम हुकुम में इस न्यायालय के तर्कपूर्ण निर्णय को उद्धृत करने के अलावा कानून के उपरोक्त स्थापित सिद्धांत को दोहराना नहीं चाहते हैं। चंद देसवाल बनाम। सतीश राज देसवाल, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 438 जिसमें राम किशन बनाम में प्रसिद्ध निर्णय है। तरुण बजाज, (2014) 16 एस. सी. सी. 204, को उद्धृत किया गया है। निम्नलिखित पैराग्राफ उपरोक्त सिद्धांत को नियंत्रित करेंगे:

यू. एन. बोरा, एक्स. प्रमुख कार्यकारी अधिकारी v. असम लीर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन [एम. एम. सुंदरेश, जे.]8. शुरुआत में, हमें राम किशन बनाम बजाज एंड ओआरएस में दीवानी अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए अदालत द्वारा चित्रित रूपरेखाओं का विज्ञापन करना चाहिए। रिपोर्ट किए गए अनुच्छेद 11,12 और 15 में

इस निर्णय पर, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 11. विधि न्यायालयों को प्रदत्त अवमानना क्षेत्राधिकार

अपराधी को उसकी जानबूझकर अवज्ञा के लिए दंडित करने की शक्ति / कानून की महानता के लिए अपमानजनक आचरण या बाधा, इस कारण से कि कानून की अदालतों द्वारा आदेशित सम्मान और अधिकार एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी गारंटी है कि उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और कानून के पूरे लोकतांत्रिक ताने-बाने की रक्षा की जाएगी।

समाज 5 (2014) 16 एस. सी. सी. 204 18 गिर जाएगा यदि

न्यायपालिका के सम्मान को कम किया जाता है। निसन्देह,

अवमानना अधिकार क्षेत्र के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार है

संभावनाएँ। (वी. जी. निगम बनाम केदार नाथ गुप्ता, (1992) 4 एस. सी. सी. 697, छोटू राम बनाम। उर्वशी गुलाटी (2001) 7 एस. सी. सी. 530, अनिल रतन सरकार बनाम। हीरक घोष (2002) 4 एस. सी. सी. 21, बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम। सदरूद्दीन हसन दया, (2004) 1 एस. सी. सी. 360, सहदेव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 705 और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड v. टुनके अलंकस, (2013) 9 एस. सी. सी. 600।

12. इस प्रकार, एक अवमानक को दंडित करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि आदेश की अवज्ञा "जानबूझकर" है। "विलफुल" शब्द एक मानसिक तत्व का परिचय देता है और इसलिए, किसी व्यक्ति के मन में उसके कार्यों का आकलन करने की आवश्यकता होती है, जो किसी के मन की स्थिति का संकेत है। “ 'विलफुल' का अर्थ है जानबूझकर, सचेत, सुनियोजित और पूरी तरह से जानबूझकर।

वहाँ से आने वाले परिणामों का ज्ञान। इसमें शामिल नहीं है

लापरवाही से किए गए कार्य। इस कार्य को "बुरे उद्देश्य या उचित बहाने के बिना या जिद्दी, जिद्दी या जिद्दी तरीके से" किया जाना चाहिए। विपरीत रूप से "। जानबूझकर किए गए कार्य को [2021] 10 एस. सी. आर. से अलग किया जाना है।

लापरवाही से, बिना सोचे-समझे, लापरवाही से या अनजाने में। यह करता है।

वही कर रहा है और करने का इरादा रखता है। इसलिए, वहाँ होना चाहिए उसकी ओर से बुरे उद्देश्य के साथ एक सोची समझी कार्रवाई। भले ही वहाँ है

एक आदेश की अवज्ञा, लेकिन इस तरह की अवज्ञा परिणाम है

कुछ मजबूर करने वाली परिस्थितियों में जिसके तहत यह नहीं था

अवमानकर्ता के लिए आदेश का पालन करना संभव है,

अनादर करने वाले को दंडित नहीं किया जा सकता है। समर्पण या ज़ब्त करना आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अवमानना में कुछ हद तक चूक शामिल न हो

या दुराचार "। (एस. सुंदरम पिल्लई बनाम। वीआर.

अट्टाबिरामन, (1985) 1 एस. सी. सी. 591, राकापल्ली राजा राम गोपाल

राव वी. नरगनी गोविंद सहराव, (1989) 4 एस. सी. सी. 255,

नियाज़ मोहम्मद बनाम। 19 हरियाणा राज्य, (1994) 6 एस. सी. सी. 332,

कॉर्डिया ऑटोमोबाइल बनाम। एस. मूसा, (2000) 3 एससीसी 282, अशोक

पेपर कामगर यूनियन बनाम। धरम गोधा (2003) 11 एस. सी. सी. 1,

उड़ीसा राज्य बनाम। मोहम्मद. इलियास (2006) 1 एस. सी. सी. 275 और

यूनीवर्थ टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. (2013) 9 एस. सी. सी. 753।

XXX

XXX

XXX

15. यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अगर दो व्याख्याएँ हों संभव है, और यदि कार्रवाई अपमानजनक नहीं है, तो एक अवमानना

कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं होगी। प्रभाव और उद्देश्य

आदेश को ध्यान में रखा जाना चाहिए और वही

इसे पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, तत्व

घर लाने के लिए इच्छा एक अनिवार्य आवश्यकता है

अधिनियम के अर्थ के भीतर प्रभार। [देखिए सुशीला राजे

होल्कर बनाम। अनिल काक, (2008) 14 एस. सी. सी. 392 और थ्री चीयर्स एंटरटेनमेंट (पी) लिमिटेड बनाम सी. ई. एस. सी. लिमिटेड (2008) 16 एस. सी. सी. 592।"

इसी तरह, आर. एन. डे और ओआरएस में। बनाम भाग्यबती प्रामाणिक और अन्य। ,

पैराग्राफ 7 में न्यायालय की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

" 7. हम दोहरा सकते हैं कि अवमानना का हथियार नहीं होना चाहिए

बहुतायत में उपयोग किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है। आम तौर पर, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

डिक्री का निष्पादन या किसी आदेश का कार्यान्वयन जिसके लिए

कानून की गरिमा और महिमा। इसके अलावा, एक पीड़ित पक्ष के पास नहीं है इस बात पर जोर देने का अधिकार कि न्यायालय को आर. यू. एन. बोरा, एक्स जैसी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए।

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी v. असम ओलेर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अवमानना अवमानकर्ता और न्यायालय के बीच होती है। यह सच है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने मामले को लंबित रखा है और आदेश दिया है कि इसकी सुनवाई पहली अपील के साथ की जानी चाहिए। लेकिन, साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

अवमानना कार्यवाही के दबाव में, अपीलकर्ताओं को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, जिस पर वे यह कहते हुए विवाद कर रहे हैं कि दावेदार विचाराधीन संपत्ति के मालिक नहीं थे और यह डिक्री भौतिक तथ्य को दबाकर और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। यह मानते हुए भी कि दावेदार निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि की वसूली करने के हकदार हैं क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है, अधिक से अधिक वे 6 (2000) 4 एस. सी. सी. 400 20 उक्त पुरस्कार को निष्पादित करके उसी की वसूली करने के हकदार हैं जिसमें राज्य यह तर्क दे सकता है या दे सकता है कि पुरस्कार एक शून्य है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि आदेश की कोई जानबूझकर या जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई थी, अवमानना कार्यवाही की शुरुआत पूरी तरह से अनुचित थी।

XXX XXX XXX

22. विशेष रूप से, प्रतिवादी द्वारा दिनांकित 28.1.2019 आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थीं, जो उपरोक्त के रूप में, प्रतिवादी द्वारा देय मासिक किराए के बारे में प्रश्न से संबंधित नहीं थी, लेकिन स्पष्ट रूप से पक्षों को निष्पादन न्यायालय के समक्ष इसे आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। वादी/याचिकाकर्ता के पास

उच्च न्यायालय के उस अवलोकन को स्वीकार करने पर, इसके विपरीत तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह न्यायालय झारेश्वर प्रसाद पॉल और अन्र में है। बनाम तारक नाथ गांगुली और अन्य। , पैराग्राफ 11 में राय दी गई है इस प्रकार:

" 11. ..... अवमानना अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय उन प्रश्नों में प्रवेश करने का हकदार नहीं है जिन पर निर्णय या आदेश में विचार नहीं किया गया है और निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके उल्लंघन का आरोप आवेदक द्वारा लगाया गया है। अदालत को जारी किए गए निर्देश पर विचार करना होगा

निर्णय या आदेश में और इस प्रश्न पर विचार नहीं करना कि निर्णय या आदेश में क्या होना चाहिए था। पुनरावृत्ति की कीमत पर, 7 (2002) 5 एस. सी. सी. 352 23 यहाँ कहा गया है कि अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मुख्य रूप से पक्ष के अपमानजनक आचरण के सवाल से संबंधित है, जिस पर निर्णय या आदेश के निर्देशों का पालन करने में जानबूझकर चूक करने का आरोप है। यदि निर्णय या आदेश में किसी मामले [2021] के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है तो एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेहतर होगा कि पक्षकारों को अदालत जाने का निर्देश दिया जाए जो आदेश के स्पष्टीकरण के लिए मामले का निपटारा करने के बजाय

अवमानना अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय अपने ऊपर ले रहा है

मूल कार्यवाही को इस तरह से तय करने की शक्ति जिससे निपटा नहीं गया है

न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश पारित करने के साथ। अगर यह सीमा

अदालत की अवमानना करने वाले न्यायालयों के खिलाफ "कि इसने पर्याप्त राहत देने में अपनी शक्तियों को पार कर लिया है और

उचित के बिना उसी के बारे में एक निर्देश जारी करना

विवाद के निर्णय को पूरी तरह से टाला जा सकता है। यह कार्यवाही की बहुलता से भी बचेंगे क्योंकि पक्षकार

जो पारित निर्णय या आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है अवमानना कार्यवाही में और राहत देने और नए सिरे से जारी करने में

एक कार्यवाही से उत्पन्न मुकदमेबाजी के एक और दौर में वृद्धि जिसका उद्देश्य अदालतों की महिमा और छवि को बनाए रखना है।

XXX

XXX

XXX

उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इन पहलुओं का उत्तर निष्पादन न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है यदि पक्षकार उस संबंध में अपने दावे (दावों) को आगे बढ़ाते हैं। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि यह प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के जानबूझकर उल्लंघन या जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं है। इसके बजाय, हम मानते हैं कि निष्पादन कार्यवाही या किसी अन्य कार्यवाही में अपने दावों को आगे बढ़ाने के लिए पक्षकारों के लिए यह खुला रहेगा, जो भी हो सकता है विचाराधीन मुद्दे (ओं) के संबंध में कानून में अनुज्ञेय। ऐसी कार्यवाहियों में सभी पहलुओं पर विचार किया जा सकता है -

कानून के अनुसार गुण-दोष पर संबंधित मंच/न्यायालय। हम. और न कहें।

24. वाद संपत्ति को खाली करने के समय प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान के बारे में आरोप पर लौटते हुए, हमारी राय में, प्रत्यर्थी ने एक दुर्जेय मामला बनाया है कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, वाद संपत्ति में संरचना को बहुत कम स्थायी नुकसान हुआ है। जबकि, याचिकाकर्ता डी. आर. में छोड़े गए स्थल पर मलबे से संबंधित तस्वीरों पर भरोसा कर रहा था।

यू. एन. बोरा, एक्स. प्रमुख कार्यकारी अधिकारी v. असम रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

महीनों तक। इस प्रकार देखे जाने पर, यह उचित रूप से आग्रह किया जाता है कि यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि प्रतिवादी द्वारा विचाराधीन संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। वाटर पार्क को कार्यात्मक बनाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की जाने वाली छोटी मरम्मत को इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। जो भी हो, कि तथ्य का एक जटिल प्रश्न होने के कारण, अवमानना कार्यवाही में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हम याचिकाकर्ता के लिए यह खुला छोड़ते हैं कि वह उस दावे को निष्पादन कार्यवाही या ऐसे अन्य मामलों में भी आगे बढ़ा सके।

कार्यवाही जो कानून में अनुज्ञेय हो। यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने याचिकाकर्ता को कब्जा सौंपते समय वाद परिसर की स्थिति के संबंध में कोई अंतिम राय व्यक्त की है। हमारा मानना है कि विचाराधीन यह मुद्दा भी उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की गारंटी नहीं देता है।

उत्तरदाता "।

स्पष्ट दावा कि यह तथ्य के विवादित प्रश्नों में नहीं जाना चाहता था। हालाँकि, चुनौती के तहत यह किया गया था। प्रतिवादी नं. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर एक निष्कर्ष दिया गया है। 1 जो पहले से गठित समिति द्वारा सराहे जाने वाले साक्षय के टुकड़े हो सकते हैं। यह अपीलार्थियों का विशिष्ट मामला है कि उन्होंने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया। उनके अधीनस्थों की कार्रवाई पर उनके ज्ञान को स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, या कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलीभगत से काम किया। अवमानना के मामले में एक सिद्धांत के रूप में प्रत्यावर्ती दायित्व लागू नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या चालकों प्रत्यर्थी के दो सदस्यों की सं. 1 यह दर्शाता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज न्यायनिर्णयन के दायरे में सही और वास्तविक हैं, उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय इसे नहीं लिया जाना चाहिए था। हम नोट कर सकते हैं कि यह है

उत्तरदाता नं। 1 जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने विशेष अनुमति याचिका दायर की। यहां तक कि प्रेस नोट के अलावा भेजे गए संचार में भी, यह कहीं नहीं कहा गया है कि अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जा सकता है। हम पाते हैं कि बाद के घटनाक्रम

अपीलार्थियों के लाभ को भी सुनिश्चित करेगा। ऐसे मामलों में जहां उपकर लगाया जाता है आरोपित किया गया था, प्रत्यर्थी के व्यक्तिगत सदस्य नं।

एस. सी. आर. बना सकते थे।

11. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमने तदनुसार अवमानना मामले में 23.10.2009 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया2008 का No.401। नतीजतन, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील संख्या। 2 को

खड़े रहने की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

अपील की

अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे